न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 58/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/91

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.कालूसिंह पुत्र विरमसिंह 2.सम्पतसिंह पुत्र विरमसिंह जाति पुरोहित निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर,जिला बालोतरा		1.प्रेमसिंह पुत्र प्रताप 2.बालूसिंह पुत्र प्रताप 3.इन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह 4.उम्मेदसिंह पुत्र सोनसिंह 5.गोमती कंवर पत्नी मंगलसिंह 6.चैनसिंह पुत्र रूपसिंह 7.प्रभुसिंह पुत्र सोनसिंह 8.बाबूसिंह पुत्र सोनसिंह 9.बाबूसिंह पुत्र मंगलसिंह 10.बालूसिंह पुत्र सोनसिंह 11.मोतीसिंह पुत्र मंगलसिंह 12.रूगनाथसिंह पुत्र रूपसिंह 13.रामचन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह 14.सुन्दरकंवर पत्नी सोनसिंह,जाति पुरोहित 15.कबुदेवी पत्नी हनुमानराम जाति जाट निवासी कल्याणपुर 16.गोलादेवी पत्नी कैलाश सिंह जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 17.थानाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट 18.पूनाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर 19.भंवरीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति पुरोहित निवासी नावाखुर्द 20.लादूराम पुत्र दौलाराम जाति सुथार निवासी चारलाई कलां तहसील कल्याणपुर 21.भारतीय स्टेट बैंक शाखा कल्याणपुर 22.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 58/2024
कालूसिंह बनाम प्रेमसिंह वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री प्रकाश सोनी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01

3.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 20

4.विप्रार्थी संख्या 2 से 19 व 21,22 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 17/10/2025

1.संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 161 क्षेत्रफल 8.5631 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 161 क्षेत्रफल 8.5631 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री प्रकाश सोनी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। जो पत्रावली शामिल मिसल है। विप्रार्थी संख्या 20 की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम कड़वासरा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 20 अधिवक्ता को पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। शेष विप्रार्थी संख्या 2 से 19 व 21,22 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 161 क्षेत्रफल 8.5631 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 161 क्षेत्रफल 8.5631 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 1 व 20 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किए जाने के कारण आवेदन चलने योग्य नही है,क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे विप्रार्थी द्वारा कभी दंखलदान्जी नही की गई है और न ही पक्षकारान के मध्य सीमाओ को लेकर कोई विवाद है। अतं प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 161 क्षेत्रफल 8.5631 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.01.2024 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 के तहत नेखमबंदी करवाने का प्रकरण बनता ही नही है,क्योकि सीमाज्ञान मौका फर्द मे विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद होने का उल्लेख नही है। अतः प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण मे राहत प्राप्त करने के हकदार नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार) 17/10/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 17/10/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 17/10/2025
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी ISOO बालोतरा